WORTH-REPORTABLE

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपीडि/टि.ए./2191/2003/चित्तौडगढ** **गमेरदास बनाम ओंकार दास**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10 जनवरी, 2014	**खण्ड पीठ** **श्री बी. एल. नवल, सदस्य** **श्री आर.के. पारीक, सदस्य** **उपस्थित** :– (1) श्री जगदम्बा प्रसाद माथुर, अभिभाषक प्रार्थी (2) श्री औंकार लाल दवे, अभिभाषक अप्रार्थी **निर्णय** हस्तगत द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 224, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (संक्षेप में अधिनियम, 1955) विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौडगढ द्वारा प्रकरण संख्या 104/2001 उन्वानी गमेरदास बनाम ऊॅकार दास में पारित निर्णय दिनांक 28–3–2003 के विरोध में पेश की गई है। प्रकरण के तथ्य सूक्ष्म में इस प्रकार हैं कि वादीगण/अपीलार्थीगण द्वारा परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कपासन के यहां ग्राम बलारडा, तहसील कपासन, जिला चित्तौडगढ की आराजीयात खसरा नम्बर 800 रकबा 7 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 801 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा के सम्बन्ध में अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत प्रत्यर्थी/रैस्पो0 के विरुद्ध वादपत्र दायर किया। अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौडगढ द्वारा प्रकरण में परीक्षण करते हुये निर्णय दिनांक 30–03–2001 द्वारा प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारित किया। प्रथम अपील में विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौडगढ द्वारा आक्षेपित निर्णय से अपील सारहीन मानते हुये खारिज की है। उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण का पक्ष सुना गया। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस में कथन किया कि विद्वान दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बिन्दु पर गौर नहीं किया कि प्रश्नगत आराजी में वादीगण का 1/2 हिस्सा रहा है, जिसे भू प्रबन्ध विभाग द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर जाते हुये प्रतिवादी/रैस्पो0 के पक्ष में राजस्व रिकार्ड में अंकन कर दिया। हमारे द्वारा प्रस्तुत किये गये वादपत्र को डिक्री करते हुये रिकार्ड के आधार पर 1/2 हिस्से की हमारे पक्ष में डिक्री पारित करनी चाहिए थी। योग्य अभिभाषक ने क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर निवेदन किया कि मूल वादपत्र उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था किन्तु जिला कलक्टर, चित्तोडगढ के आदेश से प्रकरण एस0डी0ओ0, कपासन के यहां से अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौडगढ को अन्तरित किया गया। अधिनियम की तृतीय अनुसूची के कॉलम 7 के अनुसार प्रकरण को सहायक कलक्टर के न्यायालय में ही अंतरित किया जा सकता था क्योंकि अधिनियम की धारा 88, 89 व 188 के अन्तर्गत प्रस्तुत वादपत्र को सुनवाई का क्षेत्राधिकार अतिरिक्त कलक्टर को प्राप्त नहीं है। इस प्रकार विद्वान अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौडगढ द्वारा पारित निर्णय क्षेत्राधिकार से बाहर होने से इसी बिन्दु पर अपील का निस्तारण करते हुये प्रकरण को सक्षम उपखण्ड अधिकारी या सहायक कलक्टर के न्यायालय को प्रेषित किया जाये। अपने पक्ष	

WORTH-REPORTABLE

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपीडि/टि.ए./2191/2003/चित्तौडगढ** **गमेरदास बनाम ओंकार दास**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

में योग्य अभिभाषक ने विधिक उद्धरण आर.आर.डी. 2003 पृष्ठ 315 का अवलोकन कराया ।

रैस्पो0 के योग्य अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि अतिरिक्त कलक्टर, चित्तोडगढ द्वारा जिला कलक्टर, चित्तौडगढ द्वारा प्रेषित दिशा निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं रही है। वादीगण का वादग्रस्त आराजी में किसी प्रकार का हित निहित नहीं है और दोनो अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण में विधिवत रुप से गुणावगुण पर तनकीवार निर्णय पारित किया है। अपील खारिज की जाये।

हमने उभय पक्षीय बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया एवं विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया।

वादीगण/अपीलार्थीगण द्वारा परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कपासन के यहां ग्राम बलारडा, तहसील कपासन, जिला चित्तौडगढ की आराजीयात खसरा नम्बर 800 रकबा 7 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 801 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा के सम्बन्ध में अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत प्रत्यर्थी/रैस्पो0 के विरुद्ध वादपत्र दायर किया गया था। उपखण्ड अधिकारी, कपासन की प्रकरण के सम्बन्धित पत्रावली की आदेशिका दिनांक 07–02–2001 के अनुसार प्रकरण को जिला कलक्टर के आदेश क्रमांक सरिशता/56–65 दिनांक 15–01–2001 से एस0डी0ओ0, कपासन से अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौडगढ को स्थानान्तरित किया गया है। अधिनियम की धारा 235 में स्पष्ट रुप से प्रावधित किया गया है –

> " Transfer and withdrawal of case by Collector and Sub Divisional Officer- A Collector or a Sub Divisional Officer may withdraw any case or class from any revenue court subordinate to him and may try such case or class of cases himself or transfer the same to any subordinate revenue court **competent to deal with it**."

धारा 235 के अवलोकन से स्पष्ट है कि इसके अनुसार सक्षम न्यायालय को ही वाद को मुॅतकिल किया जा सकता है। अधिनियम की तृतीय अनुसूची के कॉलम 7 के अनुसार जो सक्षम न्यायालय की सूची है उसके अनुसार अधिनियम की धारा 88,89 व 188 के वादपत्र को निस्तारित करने हेतु सहायक कलक्टर न्यायालय ही सक्षम न्यायालय है, अतिरिक्त कलक्टर को अधिनियम की धारा 88,89 व 188 के तहत उपखण्ड अधिकारी के यहॉ जो वादपत्र प्रस्तुत किया गया था उसे निस्तारित करने हेतु अतिरिक्त कल्क्टर सक्षम न्यायालय नहीं है। जिला कलक्टर द्वारा हस्तगत प्रकरण में उनके समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर सक्षम उपखण्ड अधिकारी या सहायक कलक्टर को ही प्रकरण को निर्णय हेतु प्रेषित करना चाहिए था। प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अतिरिक्त कलक्टर के न्यायालय को

WORTH-REPORTABLE

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपीडि/टि.ए./2191/2003/चित्तौडगढ** **गमेरदास बनाम ओंकार दास**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रेषित करने में विद्वान जिला कलक्टर, चित्तौंडगढ के स्तर पर क्षेत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटि की गई है। विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तोडगढ ने भी इस वैधानिक प्रावधान की अनदेखी करते हुये प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया है। अभिभाषक अपीलार्थी पक्ष द्वारा विधिक उद्धरण आर.आर.डी. 2003 पृष्ठ 315 करतार सिंह व अन्य बनाम मोहन सिंह व अन्य पेश किया है जो निम्न प्रकार है :–

Rajasthan Tenancy Act,Section 235-

Appeal against order of R.A.A. - Held,case transferred by Collector from the court of S.D.O.to the court of Addl.Collector in respect ofdeclaration,partitio and permanent injunction - Decided by Addl.Collector - Order is without jurisdiction in view of Sch.III S.No.7 - it ought to have been transferred to Asstt.Collector for disposal - R.A.A.decided appeal on merits - it would have been transferred to S.D.O.or Asstt.Collector for disposal - Order and decree passed by Addl. Collector and order of R.A.A.set aside - Case remanded to the District Collector with directions.

APPEAL PARTLY ACCEPTED

उपरोक्त विवेचन व विधिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में हस्तगत द्वितीय अपील आंशिक रुप से स्वीकार की जा कर अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौडगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30–03–2001 एवं विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौडगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28–3–2003 क्षेत्राधिकार विहीन होने से अपास्त किये जाते हैं। हस्तगत प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, कपासन को प्रेषित किया जा कर निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्ष को सुनवाई का मौका देते हुये विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में वादपत्र को गुणावगुण पर निर्णित करें। मूल वाद पत्र वर्ष 1991 से लंबित है, इस स्थिति को देखते हुये विचारण न्यायालय को यह भी निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में शीघ्रतापूर्वक प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाये। उभय पक्ष को निर्देश दिये जाते हैं कि वे दिनांक 28–2–2014 को विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कपासन के समक्ष उपस्थित हो कर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

पत्रावली फैसल शुमार हो कर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर की जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आर.के. पारीक)
सदस्य

(बी. एल. नवल)
सदस्य

WORTH-REPORTABLE

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपीडि/टि.ए./2191/2003/चित्तौडगढ** **गमेरदास बनाम ओंकार दास**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

WORTH-REPORTABLE

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपीडि/टि.ए./2191/2003/चित्तौडगढ** **गमेरदास बनाम ओंकार दास**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

WORTH-REPORTABLE

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपीडि/टि.ए./2191/2003/चित्तौडगढ** **गमेरदास बनाम ओंकार दास**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए